DOON UNIVERSITY NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

उत्तराखंड में अब सब एक बराबर समान नागरिक संहिता हुई लागू

ऐतिहासिक

सीएम ने अधिसूचना का किया अनावरण | सबसे पहले अपने विवाह का पंजीकरण करवाया | यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही अब उत्तराखंड में हर नागरिक के सांविधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को इसकी अधिसूचना का अनावरण कर पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने पोर्टल पर सबसे पहले अपने विवाह का पंजीकरण कराया।

सीएम ने कहा कि यूसीसी नाम की गंगा को लाने में देवभूमि की जनता का अहम योगदान रहा है। जिस तरह मां गंगा उत्तराखंड से निकलकर देश के हर हिस्से को लाभान्वित करती है, उसी तरह अब यूसीसी भी यहीं से शुरू हुई है। इसका अनुसरण अब अन्य राज्यों में भी होगा।

सीएम कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने यूसीसी की नियमावली का लोकार्पण किया। कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने की अधिकारिक घोषणा उत्तराखंड के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक है। आज से उत्तराखंड में समाज में समानता स्थापित करने का काम हुआ है।

कहा, आज जब यह सपना पूरा हुआ तो इसकी घोषणा करते हुए भावुक भी हो रहा हूं। इसके लिए हर्ष के साथ-साथ गर्व की अनुभूति भी हो रही है। इससे अब राज्य में प्रत्येक नागरिक के सांविधानिक और नागरिक अधिकार एकसमान हो गए हैं। साथ ही सभी धर्म की महिलाओं को भी समान अधिकार मिल गए हैं। कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन अहम रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से समान नागरिक संहिता की अधिसूचना का अनावरण किया और ucc.uk.gov.in वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और यूसीसी समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी के प्रावधान और इसकी अब तक की यात्रा पर प्रकाश डाला।

यूसीसी के पोर्टल का शुभारंभ करते सीएम। संवाद

अब कोई बहन श्रद्धा वाल्कर नहीं बनेगी

यूसीसी लागू होने के बाद अब विवाह, तलाक, लिव इन, विरासत आदि का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लिव इन संबंधों के कारण पहले झगड़े होते थे। कई बार नौबत यहां तक आ जाती थी कि एक पक्ष दूसरे की हत्या भी कर देते थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में हुई श्रद्धा वाल्कर की हत्या का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। वह अपने रिश्ते को गुपचुप तरीके से नहीं रख पाएंगे। ऐसे में यदि कोई विवाद हुआ तो कोई बहन श्रद्धा वाल्कर नहीं बनेगी।

...तीन वर्ष पहले लिया संकल्प हुआ पूरा

सरकार ने जो तीन वर्ष पहले संकल्प लिया था, वह आज पूरा हो गया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर सरकार ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ.बीआर आंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान 12 फरवरी 2022 को उन्होंने यह संकल्प लिया था। उस वक्त उन्हें नया-नया दायित्व मिला था। इसके सात महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में जाना पड़ा था। ऐसे में कई लोग विश्वास नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस काम में उनका साथ देगी। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी।

>> यूसीसी : हर स्तर के अधिकारी की तय है जिम्मेदारी, दो दीवानों को मिल सकेगा आशियाना : पेज 06 पर

News paper – Amar Ujala
Date - 28.01.2025